

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।
माह-अक्टुबर, 2017 तक।

क्र०सं०	कांड सं० एवं तिथि	संबंधित विभाग/कार्यालय	अभियुक्तों का नाम एवं पद
	1	2	3
1.	भ्र०नि० ब्यूरो पलामू थाना कांड सं०-23/17, दिनांक-07.08.2017 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र०नि० अधि०-1988	<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।</u> ट्रैप केस। 5,000/-	श्री सरयु प्रसाद यादव, (उम्र-52 वर्ष), पे०-स्व० पन्नु यादव, ग्राम-मदनपुर, छतरपुर, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू, वर्तमान पंचायत सचिव ग्राम पंचायत प्रखंड, रामगढ, जिला-पलामू। आरोप पत्र सं०-13/17, दिनांक-05.10.17
2.	भ्र०नि० ब्यूरो धनबाद थाना कांड सं०-24/17, दिनांक-21.08.2017 धारा-7/13(2) भ्र०नि० अधि०-1988	<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।</u> ट्रैप केस। 4,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त इल्ताश अहमद, पिता-मो० इस्माईल सा०-महथाडीह, पो०-सोनारडीह, भाया-छोटकी खड़गडीहा, थाना-जमुआ, जिला-गिरिडीह, वर्तमान पंचायत सचिव, पंचायत मण्डरो, प्रखंड पीरटांड, जिला-गिरिडीह। आरोप पत्र सं०-26/17 दिनांक-12.10.17
3.	भ्र०नि० ब्यूरो दुमका थाना कांड सं०-09/17, दिनांक-08.08.2017 धारा-7/13(2) भ्र०नि० अधि०-1988	<u>मनरेगा।</u> ट्रैप केस। 3,000/-	श्री आनन्द मेहता, पिता-बलिराम मेहता, महल्ला बरॉव (खेकसाही), थाना-हुसैनाबाद, जिला-पलामू, वर्तमान कनीय अभियंता, मनरेगा, प्रखण्ड-देवीपुर, जिला-देवघर। आरोप पत्र सं०-07/17, दिनांक-05.10.17
4.	निगरानी थाना कांड सं०-36/14, दिनांक-21.11.14 धारा-13/2 सहपठित धारा 13(1) (ई०) भ्र०नि० अधि०-1988	<u>ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।</u> <u>डी० ए० केस</u> आय से अधिक धर्नाजप के आरोप में जांच सं०-डी०-06/94 के जांचोपरांत काण्ड दर्ज हुआ है।	राम प्रवेश तांती, पिता-श्री बसंत तांती, ग्राम-हडालपुर, पो० एवं थाना- भगवानपुर, जि०- बेगूसराय, बिहार, तत्कालीन कनीय अभियंता, कसमार प्रखण्ड, बोकारो। अंतिम प्रतिवेदन सं०-30/17 दि०-05.10.17 (साक्ष्य की कमी)।
5.	भ्र०नि० ब्यूरो, पलामू थाना कांड सं०-25/17, दिनांक-30.08.2017 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र०नि० अधि०-1988	<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।</u> ट्रैप केस। 4,000/-	श्री नित्यानन्द दूबे, पिता-स्व० तिलक धारी दुबे, सा०-तलेया, थाना-चैनपुर, जिला-पलामू, वर्तमान न्यू एरिया डॉक्टर बिरेन्द्र तिवारी मार्ग पीपरा कला गढ़वा पोस्ट+थाना+जिला- गढ़वा। आरोप पत्र सं०-14/17 दिनांक-13.10.17